न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा(टोक)

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र–18 / 2017

निर्णय दिनांक– 11.9.2017

1:–जुनेर मोहम्मद पुत्र ईद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी खेलनिया हाल उनियारा तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1:–तहसीलदार उनियारा तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)

प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित:– श्री हरिराज सिंह, वकील प्रार्थी

पेरोकार सरकार प्रतिपक्षी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 74 रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम उनियारा तहसील उनियारा मे स्थित है। यह कि वादग्रस्त आराजी को वादी ने तत्कालीन खातेदारान श्रीमति जमीला माहिर पत्नी नन्ने मोहम्मद माहिर निवासी उनियारा से साबिक ख0न0 130 / 2 रकबा 1.25 है0 मे हिस्सा 1 / 2 दिनाक 4.1.2000 को तथा रामदेवा पुत्र भूरा जाति माली निवासी उनियारा ख0न0 130 / 2 रकबा 1.25 है0 मे हिस्सा 1 / 2 मे से 3 / 8 हिस्सा दिनाक 22.1.97 को तथा हुक्मचन्द जैन पुत्र प्रेमचन्द जैन उनियारा से ख0न0 130 रकबा 1.25 है0 मे हिस्सा 1 / 8 इस प्रकार कुल हिस्सा खरीद किया गया था, जिसका हाल ख0न0 74 रकबा 1.25 है0 बनाया गया है

वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी बतौरं खातेदार काबिज काश्तकार चला आ रहा है तथा मौके पर आज भी काबिज काश्त करता है। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम सहवन से जुनेर मोहम्मद के स्थान पर जुबेर मोहम्मद अंकित हो गया है, जो गलती से अंकित हो गया है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे जुबेर मोहम्मद के स्थान

Scanned by CamScanner

पर जुनेर मोहम्मद पुत्र श्री ईद मोहम्मद दर्ज करते हुए राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाना न्यायाहित मे उचित एवं आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का सही नाम एवं वास्तविक नाम जुनेर मोहम्मद पुत्र ईद मोहम्मद है। जो ग्राम पंचायत खेलनिया द्वारा जारी परिचय पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड व प्रार्थी की अंकतालिका एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिंनाक 22.1.1997 में जाब कार्ड ड्राईविंग लाइसेन्स व चरित्र प्रमाण पत्र में जुनेर मोहम्मद पुत्र ईद मोहम्मद है।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया हैकि मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार स्वीकार एवं शुद्वियोग्य है तथा किसी प्रकार की आपत्ति नही है। राजस्व रिकार्ड मे जुबेर मोहम्मद के स्थान पर जुनेर मोहम्मद दर्ज करने से राज्यहित प्रभावित नही है। नाम संशोधन योग्य है।

विद्वान वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का दोहरान करते हुए जाहिर किया कि राजस्व जमाबन्दी खता संख्या 284 कुल किता 1 रकबा 1.25 है0 ग्राम खेलनिया तह0 उनियारा में प्रार्थी का नाम जुबेर मोहम्मद पुत्र ईद मोहम्मद के स्थान पर जुनेर मोहम्मद पुत्र ईद मोहम्मद दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने का आदेश फरमावे। जो ग्राम पंचायत खेलनिया द्वारा जारी परिचय पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड व प्रार्थी की अंकतालिका एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिंनाक 22.1.1997 में जाब कार्ड ड्राईविंग लाइसेन्स व चरित्र प्रमाण पत्र में जुनेर मोहम्मद पुत्र ईद मोहम्मद कि प्रतियां प्रस्तुत कि है।

पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व पेरोकार सरकार द्वारा प्रकरण मे दिये गये जवाब का मनन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझता है। अतः तहसीलदार उनियारा को आदेश दिये जाते है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी खाता खख्यां 284 ख0न0 74 रकबा 1.25 है0 ग्राम उनियारा मे राजस्व रिकार्ड मे जुबेर मोहम्मद के स्थान पर जुनेर मोहम्मद दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर नियमानुसार नामान्तकरण तस्दीक करवाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा(टोक)

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

(डिक्री मुकदमा इब्तदाई)

1:–जुनेर मोहम्मद पुत्र ईद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी खेलनिया हाल उनियारा तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1:–तहसीलदार उनियारा तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)

प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– श्री हरिराज सिंह, वकील प्रार्थी

पेरोकार सरकार प्रतिपक्षी की ओर से

मुकदमा संख्सा – 18/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर0 ए0 एस0 ब हाजरी श्री हरिराज सिंह नरूका व सरकारी पेरोकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः तहसीलदार उनियारा को आदेश दिये जाते है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी खाता संख्यां 284 ख0न0 74 रकबा 1.25 है0 ग्राम उनियारा मे राजस्व रिकार्ड मे जुबेर मोहम्मद के स्थान पर जुनेर मोहम्मद दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर नियमानुसार नामान्तकरण तस्दीक करवाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

कैलाश चन्द गुर्जर
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner